

पारा, 2764

परिशिष्ट-1  
[21/3/2025]

प्रश्न सं. [क. 2764]

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला भिंड (म.प्र.)  
क्रमांक/मबावि/पो.आ./2025/610


भिण्ड, दिनांक 05/2/25

**टेक होम राशन परिवहन हेतु जारी विज्ञप्ति निरस्त करने की सूचना**

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक /मबावि/पो.आ./2024/8255 दिनांक 25-10-024 के द्वारा टेक होम राशन परिवहन हेतु द्वितीय विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमें मात्र 02 आवेदनकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया है।


अतः भण्डार क्रय नियम अंतर्गत न्यूनतम 03 फर्मों का भाग लिया जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकाशित कराई गई ई टेण्डरिंग निविदा निरस्त की जाती है।


कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला भिण्ड (म.प्र.)  
भिण्ड, दिनांक 05/2/25

पृ. क्रमांक/मबावि/पो.आ./2025/611  
प्रतिलिपि -

- १- कलेक्टर जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
- २- परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना (समस्त) जिला भिण्ड।
- ३- सर्व संबंधित फर्म की ओर सूचनार्थ।
- ४- कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्या हेतु।

  
अनुभागा अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
जिला भिण्ड (म.प्र.)